XI–HC–22 ए.एफ.आर. (14)

छत्तीसगढ़, उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ: माननीय श्री एल.सी. भादू
एवं माननीय श्री धीरेन्द्र मिश्रा, न्यायाधीशगण

दाण्डिक अपील क्रमांक 998/1994

अपीलार्थी: पंचराम

बनाम

प्रत्यर्थी: मध्य प्रदेश राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

श्री वी.डी. बाजपेयी, वरिष्ठ अधिवक्ता सहित श्री वी.के. शर्मा के साथ, अपीलार्थी के अधिवक्ता।
श्री यू.एन.एस. देव, अतिरिक्त लोक अभियोजक, श्री अखिल मिश्रा एवं श्री एम.पी.एस. भाटिया के साथ, प्रत्यर्थी/राज्य के पैनल अधिवक्ता।

<u>निर्णय</u>
(20.02.2006)

एल.सी. भादू, न्यायाधीश (मौखिक) –

1. अभियुक्त/अपीलार्थी ने इस अपील को विद्वान सत्र न्यायाधीश, रायपुर द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 408/93 में पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 25.07.1994 के विरुद्ध प्रस्तुत किया है, जिसके द्वारा विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी को लखनलाल की हत्या करने का दोषी पाते हुए उसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्ध कर आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है।

2. अभियोजन का मामला, संक्षेप में, यह है कि दिनांक 28.05.1993 को लगभग 15.50 बजे गंगाराम ने पुलिस थाना छुरा में मर्ग सूचना (पी–6) दी कि घटना के दिन सुबह 11.00 बजे उसके गाँव के पंचराम ने पहले सामाजिक भवन के पास दुकान के सामने

लखनलाल को गाली दी और झगड़ा करने लगा। उसने अपनी वस्त्र से चाकू निकाला, लखनलाल के सीने पर हमला किया और उसकी हत्या कर दी। इस अपराध को खेमनारायण, बुंदेलसिंह और उसने स्वयं देखा था। लखनलाल का शव दुकान के पास एक बेंच पर पड़ा था। मृतक फुल पैंट और शर्ट पहने हुए था। उसके घाव से खून बहने लगा था। इस सूचना को प्राप्त कर थाना प्रभारी ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत अपराध के लिए प्रथम सूचना प्रतिवेदन पी–5 दर्ज की और घटनास्थल के लिए रवाना हुए। पंचों को सूचना देने के बाद उन्होंने लखनलाल के शव का पंचनामा पी–1 तैयार किया। पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त ने धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत मेमोरेण्ड्म कथन (पी–2) दिया जिसके आधार पर उसके घर से दो चाकू, एक कमीज़ व एक लुंगी जब्त की गई (पी–2 क)। विवेचना अधिकारी ने घटनास्थल से खून सनी मिट्टी और सादी मिट्टी तथा मृतक की चप्पलें और कपड़े भी पी–3 और पी–4 के तहत कब्ज़े में लिए। लखनलाल के शव को शव परीक्षण के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, छुरा भेजा गया, जहाँ डॉ. के.वी. राव (अ.सा.–8) ने लखनलाल के शव का शव परीक्षण किया और शव परीक्षण प्रतिवेदन पी–7(ए) तैयार की। घटनास्थल का नक्शा पी–9 तैयार किया गया। बरामद वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर भेजा गया, जहाँ से प्रतिवेदन पी–12 प्राप्त हुई। विवेचना पूर्ण होने के बाद न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, गरियाबंद के न्यायालय में अभियोग पत्र दायर किया गया, जिन्होंने प्रकरण को सत्र न्यायाधीश, रायपुर के पास विचारण हेतु अर्जित कर दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अभियोजन ने अभियुक्त के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने के लिए 10 साक्षियों का परीक्षण कराया। अभियुक्त का कथन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किया गया, जिसमें उसने अभियोजन साक्ष्य से इंकार किया। तथापि, प्रश्न संख्या 10 के उत्तर में अभियुक्त ने स्वीकार किया कि साक्षी गंगाराम, खेमनारायण, बुंदेलसिंह और योगराम दुकान की बेंच पर बैठे थे। उसने प्रश्न संख्या 16 के उत्तर में यह भी स्वीकार किया कि लखन की मृत्यु हुई थी और उसने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि लखन के शव का पंचनामा तैयार किया गया था और सभी साक्षी एक ही समूह के हैं और लखन तथा जगदीश के बीच विवाद था। उसने आगे कहा कि उसने लखन और जगदीश को झगड़ा न करने के लिए कहा था और जगदीश ने लखन पर चाकू से हमला किया। वह निर्दोष है। अपनी बचाव में, उसने डी.डब्ल्यू.–1 लोकराम यादव, डी.डब्ल्यू.–2 इंदिरा बाई,

डी.डब्ल्यू.–3 कुमारी बाई, डी.डब्ल्यू.–4 ओम प्रकाश यादव और डी.डब्ल्यू.–5 इब्राहिम का परीक्षण कराया है। अतिरिक्त लोक अभियोजक और अभियुक्त के अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त को इस निर्णय के कंडिका–1 में वर्णित अनुसार दोषसिद्ध और दण्डित किया है।

4. हमने श्री बाजपेयी, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री शर्मा के साथ अभियुक्त/अपीलार्थी के अधिवक्ता तथा श्री देव, अतिरिक्त लोक अभियोजक, श्री मिश्रा एवं श्री भाटिया, राज्य के पैनल अधिवक्ताओं को सुना है।

5. लखनलाल की मृत्यु की प्रकृति मानववध होने के संबंध में कोई विवाद नहीं है।

6. जहाँ तक प्रश्नगत अपराध में अभियुक्त/अपीलार्थी की संलिप्तता का सवाल है, श्री बाजपेयी ने तर्क दिया कि इस मामले में विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त के अधिवक्ता को साक्षी अ.सा.–1 जगदीश राम यादव से प्रति–परीक्षण करने का अवसर नहीं दिया गया, इसलिए अभियुक्त को गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि जिस तरह से अभियोजन साक्षियों ने अपराध कारित होना बताया है, वह संभाव्य नहीं है और अभियुक्त के लिए एक ही समय में अपनी वस्त्र से दो चाकू निकालना और फिर मृतक पर हमला करना संभव नहीं था। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि एफ.एस.एल. प्रतिवेदन के अनुसार, उस चाकू पर कोई खून नहीं पाया गया, जो अभियुक्त की निशानदेही पर बरामद किया गया बताया जाता है, इसलिए अभियुक्त को बरामदगी के आधार पर प्रश्नगत अपराध से नहीं जोड़ा जा सकता और इस तरह, प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अंत में, श्री बाजपेयी ने तर्क दिया कि जो बरामदगी अभियुक्त की निशानदेही पर की गई बताई जाती है, वह साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अनुरूप नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने विचारण न्यायालय के आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया।

8. अभियोजन मामले के अनुसार, प्रश्नगत अपराध को अ.सा.–3 गंगाराम, अ.सा.–4 खेमनारायण, अ.सा.–5 बुंदेलसिंह और अ.सा.–10 योगनाथ ने देखा था। गंगाराम अ.सा.–3, जिसने शिकायत पी–5 दर्ज कराई थी, ने कहा है कि घटना से एक दिन पहले शाम लगभग 7 बजे लखन और मानिकपुरी उससे मिले और उन्होंने उसे शराब पीने के लिए कहा, जिस पर उसने मना कर दिया। इसके बाद, मनाने पर वह उनके साथ गया और वे मानिकपुरी के घर जा रहे थे, रास्ते में अनंत पटेल के घर पर अभियुक्त पंचलाल

उनसे मिला, वह अनंत पटेल के साथ बैठा था। लखन ने अभियुक्त से पूछा कि तुमने जगदीश से क्या कहा है, चलो उससे पूछते हैं, जिस पर अभियुक्त उनके साथ आया और जब वे एक किराना दुकान की ओर मुड़े, तो पंचराम अपने घर की ओर भाग गया। अगले दिन लगभग 11 बजे सुबह जब वह किराना दुकान के पास गया, तो अभियुक्त बेंच पर बैठा था, मृतक लखनलाल और बुंदेलसिंह भी वहाँ आए और दुकान से किराना सामान खरीदा। अभियुक्त अपने घर की ओर चला गया, वह वापस लौटा और लखनलाल को गाली देने लगा, जिस पर लखनलाल ने भी गाली दी, जिसके बाद अभियुक्त ने अपनी वस्त्र से एक चाकू निकाला और लखनलाल के सीने में घोंप दिया, जिस पर लखनलाल ने कहा कि पंचराम ने उसे चाकू मार दिया है और घावों से खून बहने लगा। खेमनारायण भी वहाँ मौजूद था। इसके बाद, उन्होंने गाँव वालों को बुलाया, हालाँकि, तब तक लखनलाल की मृत्यु हो चुकी थी। उसने पुलिस थाने में शिकायत पी–5 दर्ज कराई। अ.सा.–4 खेमनारायण, अ.सा.–5 बुंदेल सिंह और अ.सा.–10 योगराम ने उपरोक्त साक्ष्य की संपुष्टि की है। ये सभी साक्षी ग्रामीण हैं। शिकायत प्राप्त करने के बाद विवेचना अधिकारी ने अभियुक्त द्वारा दिए गए मेमोरेण्डम कथन पी–2 के आधार पर उस स्थान के बारे में, जहाँ उसने चाकू और कपड़े रखे थे, चाकू को पी–2 ए के तहत बरामद किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. जहाँ तक अभियुक्त/अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों का संबंध है कि बचाव अधिवक्ता को अ.सा.–1 जगदीश राम यादव से प्रति–परीक्षण करने की अनुमति नहीं दी गई थी, जगदीश राम का साक्ष्य, दिनाँक 29.04.1994 को दर्ज किया गया था और उस तारीख को न केवल जगदीश राम बल्कि अ.सा.–2 छबिराम, अ.सा.–3 गंगाराम, अ.सा.–4 खेमनारायण और अ.सा.–5 बुंदेलसिंह का साक्ष्य भी दर्ज किया गया था और सभी प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों का बचाव अधिवक्ता द्वारा प्रति–परीक्षण किया गया है और जगदीश राम शव के पंचनामा प्रदर्श पी–1 और उस मेमोरेण्डम कथन के तहत चाकू की बरामदगी तथा मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी–2 का साक्षी है। विचारण न्यायालय की दिनांक 29.04.1994 की आदेश पत्रक के अवलोकन से पता चलता है कि पहले अभियुक्त के अधिवक्ता हाशिम खान दिनाँक 28.04.1994 को अनुपस्थित थे, हालाँकि, साक्षी उपस्थित थे और एक दिन का स्थगन माँगा गया था, इसलिए, मामले को दिनाँक 29.04.1994 के लिए स्थगित कर दिया गया था। उस तारीख को भी उक्त अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए, इसलिए, न्यायालय ने श्री आर.डी.एस. कश्यप को अभियुक्त की ओर

से नियुक्त किया, जिन्होंने अभिलेख का अध्ययन करने और साक्षियों का प्रति–परीक्षण करने के लिए समय माँगा और इसलिए कुछ समय दिया गया। इसके बाद, अ.सा.–1 से अ.सा.–5 तक का साक्ष्य दर्ज किया गया।

10. अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि अभियुक्त के अधिवक्ता को अ.सा.–1 जगदीश राम यादव से प्रति–परीक्षण करने की अनुमति नहीं दी गई थी, बल्कि मुख्य–परीक्षण के कंडिका 3 के बाद कंडिका 4 श्री आर.डी.एस. कश्यप द्वारा किए गए प्रति–परीक्षण के संबंध में शुरू होता है। यहाँ तक कि जब अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा प्रति–परीक्षण समाप्त हो गया, तो न्यायालय ने भी इस साक्षी से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए, इस साक्षी का बचाव अधिवक्ता और न्यायालय द्वारा विस्तार से प्रति–परीक्षण किया गया है और इस तरह यह नहीं कहा जा सकता कि बचाव अधिवक्ता को इस साक्षी से प्रति–परीक्षण करने का अवसर नहीं दिया गया था। इसके अलावा, अभियुक्त/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता यह बताने में सक्षम नहीं हुए हैं कि अभियुक्त पर कैसे प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, इसलिए, हम अभियुक्त/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों में कोई सार नहीं पाते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. जहाँ तक श्री बाजपेयी के तर्क का संबंध है, जो अ.सा.–3 गंगाराम के साक्ष्य के बारे में है कि उसने प्रति–परीक्षण में कहा है कि अभियुक्त ने दोनों हाथों में दो चाकू निकाले थे, इसलिए, उपरोक्त साक्ष्य के मद्देनजर अभियुक्त के लिए एक चाकू से सीने पर चोटें पहुँचाना संभव नहीं था, तो इस साक्षी ने प्रति–परीक्षण के कंडिका 9 में स्पष्ट रूप से कहा है कि अभियुक्त ने दोनों हाथों में दो चाकू निकाले थे, लेकिन अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, इस साक्षी ने यह नहीं बताया है कि जब चाकू दोनों हाथों में थे तो अभियुक्त चोटें कैसे पहुँचा सका। लेकिन, हम यह समझने में विफल हैं कि यदि किसी व्यक्ति के दोनों हाथ में चाकू हो तो यह कैसे कहा जा सकता है कि वह एक चाकू से चोट नहीं पहुँचा सकता। यह ऐसा मामला नहीं है जहाँ अभियुक्त के हाथों की गति किसी भी तरह से प्रतिबंधित थी; इसलिए, वह चोट पहुँचाने में सक्षम नहीं था। इसके अलावा, चाकू एक ऐसा हथियार है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से दोनों हाथों में चाकू को किसी भी तरह से संभाल सकता है जैसा वह चाहे।

12. जहाँ तक अभियुक्त/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए अन्य तर्क का संबंध है कि चाकू पर कोई खून नहीं पाया गया, इसलिए, पहली दृष्टि में अभियुक्त को चाकू की बरामदगी के आधार पर प्रश्नगत अपराध से नहीं जोड़ा जा सकता और उस आधार पर भी साक्षियों पर विश्वास नहीं किया जा सकता, यह सच है कि एफ.एस.एल. प्रतिवेदन के अनुसार चाकू पर कोई खून नहीं पाया गया, लेकिन केवल इस आधार पर साक्षियों के चश्मदीद साक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता, विशेष रूप से जब अभियुक्त ने स्वयं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपने कथन में, घटनास्थल पर प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों की उपस्थिति को स्वीकार किया है और जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अ.सा.–3 गंगाराम, अ.सा.–4 खेमनारायण, अ.सा.–5 बुंदेलसिंह और अ.सा.–10 योगराम ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अभियुक्त अपने घर से आया, मृतक लखनलाल को गाली दी और उसके बाद उनके बीच कुछ कहासुनी हुई और अभियुक्त ने लखनलाल के सीने पर चाकू से चोट पहुँचाई, इन साक्षियों के साक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता। इसके अलावा, इन साक्षियों के प्रति–परीक्षण में बचाव पक्ष इन साक्षियों के साक्ष्य को अविश्वसनीय या भरोसे के काबिल नहीं बनाने के लिए कोई भी परिस्थिति सामने लाने में सक्षम नहीं हुआ है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. यदि अपराध में प्रयुक्त हथियार पर मानव रक्त के धब्बे पाए जाते हैं तो यह चश्मदीद साक्षियों के साक्ष्य की संपुष्टि के लिए एक अतिरिक्त परिस्थिति है और यदि एफ.एस.एल. प्रतिवेदन के अनुसार चाकू पर कोई खून नहीं पाया जाता है, तो पूरे अभियोजन मामले को खारिज नहीं किया जा सकता, जहाँ चश्मदीद साक्ष्य निश्चयात्मक, विश्वसनीय और प्रश्नगत अपराध में अभियुक्त की संलिप्तता को इंगित कर रहा है। इसके अलावा डॉक्टर, जिन्होंने मृतक के शव का शव परीक्षण किया और प्रश्नगत चाकू की भी जाँच की, ने अपनी राय प्रदर्श पी–10 ए दी और न्यायालय के समक्ष यह भी कहा कि चाकू पर खून जैसे धब्बे थे और उनकी राय में, जो चोट मृतक के शरीर पर पाई गई थी, वह प्रश्नगत चाकू से कारित की जा सकती थी। डॉ. के.वी. राव (अ.सा.–8) के अनुसार, छाती के बाईं ओर 5 वीं से 6 वीं पसली के बीच 2½ सेमी. x 1 सेमी x 6 सेमी आकार का एक छुरा घोंपने का घाव था और चीर–फाड़ करने पर उन्होंने पाया कि बायां फेफड़ा और हृदय छिद्रित थे, जो 2½ सेमी तक गहरा था, जिसके परिणामस्वरूप वक्ष गुहा (thorax cavity) खून से भरी हुई पाई गई और उनकी राय में ऐसी चोट चाकू या किसी अन्य धारदार हथियार से कारित

की जा सकती है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि चोट धारदार हथियार से कारित की गई है और डॉक्टर से उनके उपरोक्त साक्ष्य को चुनौती देने के लिए प्रति–परीक्षण नहीं किया गया है, इसलिए, अभियुक्त/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों को स्वीकार नहीं किया जा सकता और इस दृष्टिकोण के लिए, हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **राजस्थान राज्य बनाम धूल सिंह** के मामले में दिए गए निर्णय से बल प्राप्त करते हैं, जो **2004 एआईआर एससीडब्ल्यू 24** में प्रकाशित है।

14. जहाँ तक श्री बाजपेयी के इस तर्क का संबंध है कि बरामदगी साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अनुसार नहीं की गई है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 यह परिकल्पना करती है कि जब किसी तथ्य के बारे में यह अभिसाक्ष्य दिया जाता है कि उसका पता किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से, जो पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में हो, प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप हुई है, तब ऐसी जानकारी में से उतनी, चाहे वह संस्वीकृति की कोटि में आती हो या नहीं, जितनी एतद्द्वारा पता चले हुए तथ्य से स्पष्टतया संबंधित है, साबित की जा सकेगी। यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि अभियुक्त द्वारा साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत दिए गए प्रकटीकरण कथन के अनुसरण में की गई बरामदगी साक्ष्य में ग्राह्य है। **धनंजय चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य**, **1994 (2) एससीसी 220** में प्रकाशित मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि पुलिस के समक्ष किसी अभियुक्त व्यक्ति द्वारा दिया गया 'संपूर्ण कथन' धारा 25 और 26 से प्रभावित होने के कारण साक्ष्य में अग्राह्य है, लेकिन उसके कथन का वह हिस्सा जिसके कारण वस्तुओं की खोज हुई, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत स्पष्ट रूप से ग्राह्य है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायालय को कथन के अग्राह्य हिस्से को नजरअंदाज करना चाहिए और केवल उसके कथन के उस हिस्से पर ध्यान देना चाहिए जो अभियुक्त द्वारा दिए गए प्रकटीकरण कथन के अनुसरण में वस्तुओं की खोज से स्पष्ट रूप से संबंधित है। यह आगे अभिनिर्धारित किया गया है कि इस संबंध में तथ्य की प्रकटीकरण में एक पाई गई वस्तु की बरामदगी, वह स्थान जहाँ से इसे प्रस्तुत किया गया है और इसके अस्तित्व के बारे में अभियुक्त का ज्ञान शामिल है। **गोला कोंडा वेंकटेश्वर राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य**, **2003(9) एससीसी 277** में प्रकाशित मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस दृष्टिकोण को दोहराया है और यह अभिनिर्धारित किया है कि 'एक अभियुक्त का प्रकटीकरण कथन जिसके कारण छिपे हुए स्थान से अपराध की वस्तुएं बरामद हुईं। भले

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

ही प्रकटीकरण कथन और बरामदगी मेमो पर अभियुक्त के हस्ताक्षर नहीं थे। कुएं से और उस स्थान से खुदाई करके बरामदगी का तथ्य जो अपीलार्थी द्वारा बताया गया था, और इसलिए, ऐसी बरामदगी स्वैच्छिक थी। यह कि, बरामदगी दी गई जानकारी के परिणामस्वरूप हुई थी, जिसकी पुष्टि मृतक के पहने हुए परिधान और कंकाल अवशेषों की बरामदगी से हुई थी और इसलिए, जानकारी और कथन को झूठा नहीं माना जा सकता। वर्तमान मामले में बरामदगी ज्ञापन पर सभी अभियुक्तों के हस्ताक्षर प्राप्त किए गए हैं।' **प्रवीण कुमार बनाम कर्नाटक राज्य**, 2003 (12) **एससीसी** 199 में प्रकाशित मामले में भी इसी दृष्टिकोण को दोहराया गया है।

15. उपरोक्त सिद्धांत के प्रकाश में, हमने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का परिक्षण किया है। अ.सा.–7 सुनील नेमा, उप निरीक्षक ने कहा है कि पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए अभियुक्त ने जानकारी दी कि उसने अपनी लुंगी, शर्ट और चाकू घर में रखे हैं और वह उन्हें अपने निवास से बरामद करा सकता है और 'ए' से 'ए', 'बी' से 'बी' और 'सी' से सी भागों को लेखबद्ध किया गया, जिस पर उसके और गवाहों के हस्ताक्षर हैं। उसने आगे कहा है कि अभियुक्त उसे और गवाहों को अपने घर ले गया और अपने घर के परछी (वरांडा) से चाकू और कपड़े लाया और उन्हें पी–2 ए के तहत कब्ज़े में लिया गया। प्रति–परीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि अभियुक्त उन्हें घर ले गया और उसके बाद कमरे में। उसने आगे कहा है कि यह कहना गलत है कि वह अभियुक्त के घर में दाखिल नहीं हुआ और अभियुक्त ने खुद घर में प्रवेश किया और चाकू और कपड़े लाए। अ.सा.–1 जगदीश राम यादव ने कहा है कि उसकी उपस्थिति में अभियुक्त से पूछताछ की गई जिसमें उसने बताया कि उसने चाकू अपने निवास में रखा है और उसे बरामद करा सकता है और उसने यह भी बताया कि कपड़े भी उसके घर में रखे हैं और वह उसे अपने निवास पर ले गया और कपड़े और चाकू बरामद कराए। अभियुक्त का कथन पी–2 है और वह उन्हें अपने निवास पर ले गया और दो चाकू, शर्ट और पैंट निकाले और उन्हें पी–2 ए के तहत प्राप्त किया गया जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. हमें विवेचना अधिकारी और अ.सा.–1 जगदीश राम के साक्ष्य में कोई विसंगति नहीं मिलती है। अभियुक्त ने ज्ञापन रेण्डम पी–2 दिया था कि उसने चाकू और कपड़े कहाँ रखे थे और जिसके अनुसरण में उसने वही बरामद कराया। इसलिए, उपरोक्त बरामदगी साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अनुरूप है और यह ग्राह्य है।

17. प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों अर्थात् अ.सा.–3 गंगाराम, अ.सा.–4 खेमनारायण, अ.सा.–5 बुंदेलसिंह और अ.सा.–10 योगराम के साक्ष्य के मद्देनजर यह स्थापित है कि अभियुक्त ने मृतक लखनलाल के सीने पर चाकू से वार किया था और इन साक्षियों के साक्ष्य की अ.सा.–8 डॉ. के.वी. राव के चिकित्सकीय साक्ष्य से भी संपुष्टि होती है। यहाँ तक कि अ.सा.–6 नरेश यादव ने कहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण दिन घटना से ठीक आधा घंटा पहले अभियुक्त पंचराम उसे गाँव में मिला और उसने उससे पूछा कि वह कहाँ जा रहा है, उस समय वह गुस्से में था और जवाब दिया कि लखनलाल के साथ कुछ विवाद है इसलिए वह गुस्से में है। वह कह रहा था कि वह लखनलाल को मार डालेगा क्योंकि वह बार–बार उससे झगड़ा कर रहा है, जिस पर उसने पंचराम को सलाह दी और कहा कि मामले को पंचायत के माध्यम से सुलझा लो और जब उसके पिता उसके निवास पर आए तो उन्होंने भी पंचराम को सलाह दी। हालाँकि, पंचराम चला गया लेकिन आधे घंटे के बाद उसने योगराम की दुकान के पास शोर सुना और जब तक वह मौके पर पहुँचा, विवाद खत्म हो चुका था और लखनलाल घायल अवस्था में पड़ा था। इसलिए, इस साक्षी के साक्ष्य से भी अपराध से ठीक आधा घंटा पहले अभियुक्त का आचरण यह दर्शाता है कि उसने कहा था कि वह लखनलाल को मार डालेगा और अभियुक्त/अपीलार्थी के आचरण के संबंध में इस साक्षी का साक्ष्य, साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के तहत ग्राह्य है। इसलिए, उपरोक्त चर्चाओं पर, प्रश्नगत अपराध में अभियुक्त/अपीलार्थी की संलिप्तता स्थापित है और हमें उस हद तक विचारण न्यायालय के आक्षेपित निर्णय में कोई अवैधता या दोष नहीं मिलती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. श्री बाजपेयी ने आगे तर्क दिया है कि मृतक के शरीर पर एक ही चोट थी और झगड़ा क्षणिक आवेग में हुआ था, इसलिए, भा.दं.सं. की धारा 304–II से ज्यादा का अपराध नहीं बनता है। उन्होंने **महेश बनाम मध्य प्रदेश राज्य**, **एआईआर 1996 एससी 3513**, **शुभकरण बनाम मध्य प्रदेश राज्य**, 2004 (1) **एम.पी.एल.जे. 215**, **कृष्णा तिवारी व अन्य बनाम बिहार राज्य**, **एआईआर 2001 एससी 2410** और **सतनाम सिंह व अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य**, 2003(1) **एम.पी.एल.जे. 494** में प्रकाशित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का अवलंब लिया हैं।

19. अपराध को भा.दं.सं. की धारा 304–II के तहत लाने के लिए हमें यह देखना होगा कि क्या वर्तमान मामले के तथ्य यह दर्शाते हैं कि अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध भा.दं.सं.

की धारा 300 के अपवाद 4 के अंतर्गत आता है। अपवाद–4 यह परिकल्पना करता है कि आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि यह पूर्व–चिंतन के बिना, अचानक झगड़े में, आवेश की तीव्रता में हुए अचानक विवाद पर किया जाता है और अपराधी द्वारा कोई अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूरतापूर्ण या अस्वाभाविक रीति से कार्य किए बिना किया जाता है।

20. महेश (उपरोक्त) के मामले में विवाद यह था कि मवेशी पुरषोत्तम अ.सा.–1 के खेत में घुस गए थे, जहाँ सोयाबीन की फसल खड़ी थी, मृतक और अ.सा.–2 ने उसे अपने मवेशी ले जाने और अपनी फसल को नुकसान न पहुँचाने के लिए कहा। अपीलार्थी ने, हालाँकि, उनके अनुरोधों पर ध्यान नहीं दिया और जोर दिया कि वह उसी खेत में मवेशी चराएगा। इसके बाद, मृतक और अभियुक्त के बीच कहासुनी हुई और अभियुक्त ने मृतक के सिर पर फरसे से वार किया और ऐसे प्रहार पर मृतक जमीन पर गिर गया और तुरन्त मर गया। न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि मृतक पर हमला बिना किसी पूर्व–चिंतन के अचानक झगड़े के दौरान किया गया था। इस स्थिति में, मामला भा.दं.सं. की धारा 300 के अपवाद 4 के अंतर्गत आता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. इसी तरह, कृष्णा तिवारी (उपरोक्त) के मामले में दो भाइयों के बीच बिना किसी पूर्व–चिंतन के अचानक झगड़ा हुआ, घटना से पहले भाइयों के संबंध भी सौहार्दपूर्ण थे और जब अभियुक्त ने अपने भाई – मृतक और उसके बेटे की शर्ट का कॉलर पकड़ा तो अभियुक्त ने केवल एक ही प्रहार किया, न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अभियुक्त ने किसी क्रूर या अस्वाभाविक तरीके से कार्य नहीं किया था और अनुचित लाभ नहीं उठाया था। इसी तरह शुभकरण बनाम मध्य प्रदेश राज्य (उपरोक्त) के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अभियुक्त ने कुल्हाड़ी के भोथरे सिरे से केवल एक ही प्रहार किया था और प्रहार को दोहराने का प्रयास भी नहीं किया था और मृतक को चोट पहुँचाने में कोई पूर्व–चिंतन नहीं था, इसलिए अभियुक्त भा.दं.सं. की धारा 304 भाग II के तहत दोषसिद्ध होने के लिए उत्तरदायी था।

22. इसी तरह, सतनाम सिंह (उपरोक्त) के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यह स्थापित नहीं था कि मृतक को घातक चोट मुख्य अभियुक्त की ओर से उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से पहुँचाई गई थी और यदि यह पाया जाता है कि चोट आवेश की

तीव्रता में पहुँचाई गई थी तो अपराध भा.दं.सं. की धारा 304 भाग II के तहत दण्डनीय श्रेणी में आता है।

23. उपरोक्त विधि के आधार पर, हमें वर्तमान मामले के तथ्यों की जांच करनी है कि क्या अभियुक्त का कृत्य भा.दं.सं. की धारा 300 के अपवाद 4 के अंतर्गत आता है। जहाँ तक एक ही प्रहार का संबंध है, सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान राज्य बनाम धूल सिंह (उपरोक्त) के मामले में यह देखा है कि एक ही प्रहार हमेशा आशय का निर्धारक नहीं होता है और यह चोट की प्रकृति, शरीर का वह हिस्सा जहाँ यह पहुँचाई जाती है, ऐसी चोट पहुँचाने में प्रयुक्त अपराध का हथियार, वे कारक हैं जो यह तय करने के लिए आवश्यक हैं कि क्या अभियुक्त ने जानबूझकर मृतक की मृत्यु कारित की थी।

24. वर्तमान मामले में यदि हम प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य का अवलोकन करें, तो अ.सा. 3 गंगाराम ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पिछले दिन जब वह लखनलाल और मानिकपुरी के साथ मानिकपुरी के घर जा रहा था, अनंत पटेल के घर के पास, अभियुक्त पंचराम और अनंत पटेल उनसे मिले, जिस पर लखनलाल ने पंचराम से पूछा कि उसने जगदीश राम से क्या कहा है, चलो चलकर पूछते हैं, जिस पर पंचराम उनके साथ गया, हालाँकि, रास्ते में वह अपने घर की ओर भाग गया और अगले दिन सुबह लगभग 11.00 बजे पंचराम किराने की दुकान के पास बेंच पर बैठा था और उसके बाद, अभियुक्त अपने घर गया, वापस लौटा और लखनलाल को गाली देने लगा। लखनलाल ने भी गाली दी और अभियुक्त ने अपनी वस्त्र से चाकू निकाला और लखनलाल के सीने में घोंप दिया। अ.सा.6 नरेश यादव ने कहा है कि घटना से ठीक आधा घंटा पहले वह अभियुक्त से मिला था और वह गुस्से में था और पूछने पर उसने जवाब दिया कि लखन से उसका झगड़ा हो रहा है और इसीलिए वह गुस्से में है और वह कह रहा था कि वह लखनलाल को मार डालेगा जिस पर उसने उसे पंचायत बुलाने की सलाह दी और उसके पिता ने भी उसे सलाह दी। लेकिन ठीक आधे घंटे बाद उसने शोर सुना जब वह उस तरफ गया और देखा कि लखनलाल घायल अवस्था में पड़ा है। इसलिए, इस पृष्ठभूमि को इस तथ्य के साथ मिलाकर कि अभियुक्त अपने घर गया, चाकू लेकर आया और मृतक लखनलाल के शरीर के एक महत्वपूर्ण अंग – सीने पर वार किया और चाकू को 5 वीं और 6 वीं पसली के बीच घोंप दिया जिसके परिणामस्वरूप फेफड़े और हृदय भी विछंदित हो गए, इसलिए, अभियुक्त का आशय लखनलाल की मृत्यु कारित करने का स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

और उसने तैयारी के साथ चाकू से हमला किया और शरीर के ऐसे हिस्से पर वार किया जिसके परिणामस्वरूप लखनलाल की तत्काल मृत्यु हो गई। इसलिए, झगड़ा न तो अचानक था और न ही क्षणिक आवेग में, बल्कि अभियुक्त ने पूर्व–चिंतन के साथ मृतक पर चाकू से हमला किया, इसलिए, अभियुक्त का मामला भा.दं.सं. की धारा 300 के अपवाद 4 के अंतर्गत नहीं आता है।

25. पूर्वगामी कारणों से, हमें विचारण न्यायालय के आक्षेपित निर्णय में कोई अवैधता या दोष नहीं मिलती है और हम पाते हैं कि प्रश्नगत अपील सारहीन है, यह खारिज किए जाने योग्य है और तदनुसार, खारिज की जाती है।

26. प्रमाणित प्रतिलिपि नियमानुसार प्राप्त की जावें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ता./–

एल.सी. भादू
न्यायाधीश

हस्ता./–

धीरेन्द्र मिश्रा
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By– Ashish Kumar Himdhar